राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक प.23(17) परि/प्र.नि./योजना/2017/पार्ट–I/23346 जयपुर, दिनांक 12/9/19

परिवहन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक प.23(01) परि/प्र.नि/योजना/2017 दिनांक 04.10.2017 के द्वारा राजस्थान मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना (ऑनलाईन) –2017 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

2.प्रदूषण जांच केन्द्र हेतु पात्रताएं:–

(i) प्रदूषण जांच केन्द्रों के रूप में निम्नांकित श्रेणी की कोई भी ऐजेन्सी वर्णित शर्तो की पूर्ति के उपरान्त अधिकृत होगी:–

(प) परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत बॉडी बिल्डर/गैराज।

24 शर्ते:–

(xxii) मोबाईल प्रदूषण जांच केन्द्र का कार्य क्षेत्र प्राधिकृत अधिकारी (जिला परिवहन अधिकारी) के क्षेत्राधिकार में वाहन स्वामी स्वंय का तहसील क्षेत्र या स्थानीय आवश्यकता के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी (जिला परिवहन अधिकारी) द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में निर्धारित स्थान/क्षेत्र होगा। मोबाईल प्रदूषण जांच केन्द्र का वाहन प्राधिकृत अधिकारी (जिला परिवहन अधिकारी) द्वारा निर्धारित क्षेत्र से बाहर वाहनों के प्रदूषण जांच का कार्य नहीं कर सकेगा तथा क्षेत्राधिकार से बहार प्रदूषण जांच कर जारी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वैध नहीं होगें तथा ऐसे केन्द्रों का प्राधिकार पत्र निलम्बित अथवा निरस्त किया जायेगा।

मोबाईल प्रदूषण जांच केन्द्र के वाहन पर जी.पी.एस. लगाया जाना अनिवार्य होगा। यह जी.पी.एस. परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लगवाया जायेगा। इन वाहनों की मोनिटरिंग विभाग द्वारा जी.पी.एस. के माध्यम से की जायेगी। प्रदूषण जांच मोबाईल वाहन का स्थान/कार्यक्षेत्र निर्धारित करने हेतु जी.

Scanned by CamScanner

पी.एस. के माध्यम से geo-fencing भी सुनिश्चित की जायेगी जिसकी मॉनिटिरिंग एवं Database handling रील द्वारा की जायेगी।

(xxiii) मोबाइल प्रदूषण जांच केंद्र किसी भी पेट्रोल पंप/वाहन निर्माता वर्कशॉप आदि पर स्थित अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र के पास नगरीय क्षेत्र में 2 किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र में 5 किलोमीटर की परिधि में प्रदूषण जांच का कार्य नहीं कर सकेगा। क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जारी किए गए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे तथा ऐसे केंद्रों का प्राधिकार पत्र निलम्बित अथवा निरस्त किया जाएगा।

(xxx) वाहनों की नियमित प्रदूषण जांच के प्रति आमजन को जागरुक करने, आधारभूत संरचना विकास व प्रदूषण जांच से संबंधित अन्य कार्यों हेतु अलग फण्ड का गठन किया जायेगा। इस फण्ड में प्रति प्रमाण पत्र 50 पैसे की राशि समाहित होगी। इस फण्ड का उपयोग विभाग द्वारा इस संबंध में गठित समिति के माध्यम से किया जा सकेगा।

(राजेश यादव)
शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त

Scanned by CamScanner